



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 948]

नई दिल्ली, शुक्रवार नवम्बर 24, 2017/अग्रहायण 3, 1939

No. 948]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2017/AGRAHAYANA 3, 1939

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1443(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (जेड ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक कानूनी निकाय, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) में समूह 'क' और समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन), समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.** - ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.** - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.** - वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

8. सेवा की अन्य शर्तें. - भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तों, जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं, को केन्द्रीय सरकार के इसी प्रकार की श्रेणी/स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समय-समय पर लागू ऐसे नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. वैज्ञानिक 'एफ'	*6 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 क (131100-216600रु.)	लागू नहीं होता।	50 वर्ष। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य	(1) शैक्षिक अर्हताएं: (क) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में आठरह वर्ष (इंजीनियर संस्थान के सहयुक्त सदस्य के रूप में उन्नीस वर्ष) का अनुभव सहित प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या (कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या

				<p>के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार) इंजीनियर संस्थान (ए एंड बी) का सहयुक्त सदस्य; या (ख) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में उन्नीस वर्ष का अनुभव सहित विज्ञान (एमएससी) (भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिकी या अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी) में मास्टर डिग्री; या (ग) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में उन्नीस वर्ष का अनुभव सहित (डीओइएसीसी) बी-स्तर का इलेक्ट्रॉनिकी और प्रत्यायन विभाग का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियर (आईईटीई) से स्नातक; या (घ) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में उन्नीस वर्ष का अनुभव सहित कम्प्यूटर उपयोजन में मास्टर (एम सी ए)। (2) अनिवार्य और संबंधित अनुभव: जिनके पास उपरोक्त (1) पर (क) से (घ) और उपरोक्त किसी एक या संयुक्त (1) पर (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट संगठनों में भी निम्नलिखित क्षेत्रों में यथाविनिर्दिष्ट अवधि का अनुभव है:-</p>
--	--	--	--	---	--

						<p>(i) समस्त परियोजना का क्रियान्वयन और कार्यान्वयन और प्रशासनिक तथा तकनीकी प्रक्रियाओं का प्रबंधन;</p> <p>(ii) क्रियाकलापों का निदेशन और नियंत्रण, अवसंरचना, प्रणाली का संस्थापन और क्रियान्वयन;</p> <p>(iii) अनुकूलन योजनाओं, प्रचालन प्रक्रियाओं को नव परिवर्तन और सर्जनात्मक रूप देना;</p> <p>(iv) सभी समूहों और पणधारियों के बीच मजबूत संबंधों का समन्वयन और अनुरक्षण;</p> <p>(v) नेटवर्क, साइबर विधियां, ई-वाणिज्य, साइबर सुरक्षा और साइबर न्यायिक महत्व वाले सहित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुभव।</p> <p>(3) निम्नलिखित एक या ज्यादा क्षेत्रों में कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय है -</p> <p>(i) वित्तीय सेवाएं सेक्टर; या</p> <p>(ii) ऊर्जा या विद्युत सेक्टर; या</p> <p>(iii) दूरसंचार सेक्टर; या</p> <p>(iv) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा सेक्टर; या</p> <p>(v) परिवहन सेक्टर; या</p> <p>(vi) विनिर्माण सेक्टर; या</p> <p>(vii) स्वास्थ्य सेक्टर।</p>
--	--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
<p>लागू नहीं होता।</p> <p>टिप्पण: वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की प्रोन्नति उपांतरित सुनम्य मानार्थ स्कीम (एमएफसीएस) या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की किसी अन्य नीति के अधीन होगी।</p>	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुनःनियोजन या सीधी भर्ती।	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (118500-214100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (78800-209200 रु.) या समतुल्य में नौ वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

			भूतपूर्व सैनिकों के लिए: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।
--	--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. महानिदेशक, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - सदस्य; 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से अपर सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर का कोई अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. वैज्ञानिक 'ई'	*6 (2017) *कार्यभार	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (118500-214100 रु.)	लागू नहीं होता।	45 वर्ष। टिप्पण: आयु सीमा	(1) शैक्षिक अर्हताएं: (क) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय
	के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समतुल्य।			अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के	सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में तेरह वर्ष (इंजीनियर संस्थान के सहयुक्त सदस्य के रूप में चौदह वर्ष) का अनुभव सहित प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या (कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिकी या संचार या इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार) इंजीनियर

					<p>लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार</p> <p>द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>(ब) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में चौदह वर्ष का अनुभव सहित विज्ञान (एमएससी) (भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिकी या अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी) में मास्टर डिग्री; या</p> <p>(ग) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में चौदह वर्ष का अनुभव सहित (डीओइएसीसी) बी-स्तर का इलेक्ट्रॉनिकी और प्रत्यायन विभाग का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार इंजीनियर (आईईटीई) से स्नातक; या</p> <p>(घ) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में चौदह वर्ष का अनुभव सहित कम्प्यूटर उपयोजन में मास्टर (एम सी ए)।</p> <p>(2) अनिवार्य और संबंधित अनुभव: जिनके पास उपरोक्त (1) पर (क) से (घ) और उपरोक्त किसी एक या संयुक्त (1) पर (क) से (घ) में</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>विनिर्दिष्ट संगठनों में भी नेटवर्क, साइबर विधियां, ई-वाणिज्य, साइबर सुरक्षा और साइबर न्यायिक महत्व वाले सहित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यथाविनिर्दिष्ट अवधि का अनुभव है।</p> <p>(3) निम्नलिखित एक या ज्यादा क्षेत्रों में कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय है -</p> <p>(i) वित्तीय सेवाएं सेक्टर; या</p> <p>(ii) ऊर्जा या विद्युत सेक्टर; या</p> <p>(iii) दूरसंचार सेक्टर; या</p> <p>(iv) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा सेक्टर; या</p> <p>(v) परिवहन सेक्टर; या</p> <p>(vi) विनिर्माण सेक्टर; या</p> <p>(vii) स्वास्थ्य सेक्टर।</p>
--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)
<p>लागू नहीं होता।</p> <p>टिप्पण: वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की प्रोन्नति उपांतरित सुनम्य मानार्थ स्कीम (एमएफसीएस) या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की किसी अन्य नीति के अधीन होगी।</p>	<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुनःनियोजन या सीधी भर्ती।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले</p>

			<p>व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए:</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>
--	--	--	---

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> महानिदेशक, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - अध्यक्ष; वैज्ञानिक 'जी' या 'एफ', भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - सदस्य; केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से वैज्ञानिक 'एफ' या ऊपर के स्तर का अधिकारी - सदस्य। 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. वैज्ञानिक 'डी'	*14 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.)	लागू नहीं होता।	40 वर्ष। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की	(1)शैक्षिक अर्हताएं: (क) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में आठ वर्ष (इंजीनियर संस्थान

				<p>गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>के सहयुक्त सदस्य के रूप में नौ वर्ष) का अनुभव सहित प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या (कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या संचार या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार) इंजीनियर संस्थान (ए एंड बी) का सहयुक्त सदस्य; या</p> <p>(ख) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में नौ वर्ष का अनुभव सहित विज्ञान (एमएससी) (भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स) में मास्टर डिग्री; या</p> <p>(ग) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में नौ वर्ष का अनुभव सहित (डीओइएसीसी) बी-स्तर का इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रत्यायन विभाग का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियर (आईईटीई) से स्नातक; या</p> <p>(घ) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में नौ वर्ष का अनुभव सहित कम्प्यूटर उपयोजन</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>में मास्टर (एम सी ए)।</p> <p>(2) अनिवार्य और संबंधित अनुभव: जिनके पास उपरोक्त (1) पर (क) से (घ) और उपरोक्त किसी एक या संयुक्त (1) पर (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट संगठनों में भी नेटवर्क, साइबर विधियां, ई-वाणिज्य, साइबर सुरक्षा और साइबर न्यायिक महत्व वाले सहित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यथाविनिर्दिष्ट अवधि का अनुभव है।</p> <p>(3) निम्नलिखित एक या ज्यादा क्षेत्रों में कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय है -</p> <p>(i) वित्तीय सेवाएं सेक्टर; या</p> <p>(ii) ऊर्जा या विद्युत सेक्टर; या</p> <p>(iii) दूरसंचार सेक्टर; या</p> <p>(iv) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा सेक्टर; या</p> <p>(v) परिवहन सेक्टर; या</p> <p>(vi) विनिर्माण सेक्टर; या</p> <p>(vii) स्वास्थ्य सेक्टर।</p>
--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)
<p>लागू नहीं होता।</p> <p>टिप्पण: वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की प्रोन्नति उपांतरित सुनम्य मानार्थ स्कीम (एमएफसीएस) या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कार्मिक और</p>	<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुनःनियोजन या सीधी भर्ती।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11(67700-208700 रु.)</p>

प्रशिक्षण विभाग की किसी अन्य नीति के अधीन होगी।			<p>या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए:</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>
---	--	--	--

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>1. महानिदेशक, -अध्यक्ष; भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल</p> <p>2. वैज्ञानिक 'एफ' या समतुल्य, - सदस्य; भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल</p> <p>3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से वैज्ञानिक 'एफ' स्तर का अधिकारी - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. वैज्ञानिक 'सी'	* 42 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.)	लागू नहीं होता।	35 वर्ष। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में	(1)शैक्षिक अर्हताएं: (क) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त

	सकता है।				<p>अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी</p> <p>(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में पांच वर्ष (इंजीनियर संस्थान के सहयुक्त सदस्य के रूप में छह वर्ष) का अनुभव सहित प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या (कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार) इंजीनियर संस्थान (ए एंड बी) का सहयुक्त सदस्य; या</p> <p>(ख) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में छह वर्ष का अनुभव सहित विज्ञान (एमएससी) (भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स) में मास्टर डिग्री; या</p> <p>(ग) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में छह वर्ष का अनुभव सहित (डीओइएसीसी) बी-स्तर का इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रत्यायन विभाग का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियर (आईईटीई) से स्नातक; या</p> <p>(घ) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय</p>
--	----------	--	--	--	---	--

					<p>सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में छह वर्ष का अनुभव सहित कम्प्यूटर उपयोजन में मास्टर (एम सी ए)।</p> <p>(2) अनिवार्य और संबंधित अनुभव: जिनके पास उपरोक्त (1) पर (क) से (घ) और उपरोक्त किसी</p>
					<p>एक या संयुक्त (1) पर (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट संगठनों में भी नेटवर्क, साइबर विधियों, ई-वाणिज्य, साइबर सुरक्षा और साइबर न्यायिक महत्व वाले सहित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यथाविनिर्दिष्ट अवधि का अनुभव है।</p> <p>(3) निम्नलिखित एक या ज्यादा क्षेत्रों में कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय है -</p> <p>(i) वित्तीय सेवाएं सेक्टर; या</p> <p>(ii) ऊर्जा या विद्युत सेक्टर; या</p> <p>(iii) दूरसंचार सेक्टर; या</p> <p>(iv) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा सेक्टर; या</p> <p>(v) परिवहन सेक्टर; या</p> <p>(vi) विनिर्माण सेक्टर; या</p> <p>(vii) स्वास्थ्य सेक्टर।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता। टिप्पण: वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की प्रोन्नति उपांतरित सुनम्य मानार्थ स्कीम (एमएफसीएस) या	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुनःनियोजन या सीधी भर्ती।	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद</p>

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की किसी अन्य नीति के अधीन होगी।			<p>धारण किए हुए है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए:</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>
--	--	--	--

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>1. महानिदेशक, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - अध्यक्ष;</p> <p>2. वैज्ञानिक 'ई' या समतुल्य, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - सदस्य;</p> <p>3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से निदेशक या समतुल्य स्तर का कोई अधिकारी - सदस्य।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<p>5. वैज्ञानिक 'बी'</p>	<p>*57 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>	<p>केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।</p>	<p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>30 वर्ष। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम</p>	<p>(1)शैक्षिकवर्गताएं: मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य (इंजीनियर संस्थान के सहयुक्त सदस्य के रूप में एक वर्ष) का अनुभव सहित प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या (कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या संचार या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार) इंजीनियर संस्थान (ए एंड बी) का सहयुक्त सदस्य; या (क) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में एक वर्ष का अनुभव सहित विज्ञान (एमएससी) (भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स) में मास्टर डिग्री; या (ख) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में एक वर्ष का अनुभव सहित (डीओइएसीसी) बी-स्तर</p>
--------------------------	--	---	--	------------------------	---	--

					भेजने के लिए कहा गया है।	का इलेक्ट्रॉनिकी और प्रत्यायन विभाग का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार
						इंजीनियर (आईईटीई) से स्नातक; या (ग) मंत्रालयों या विभागों या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या प्राइवेट सेक्टरों में संबंधित कार्य में एक वर्ष का अनुभव सहित कम्प्यूटर उपयोजन में मास्टर (एम सी ए)। (2) निम्नलिखित एक या ज्यादा क्षेत्रों में कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय है - (i) वित्तीय सेवाएं सेक्टर; या (ii) ऊर्जा या विद्युत सेक्टर; या (iii) दूरसंचार सेक्टर; या (iv) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा सेक्टर; या (v) परिवहन सेक्टर; या (vi) विनिर्माण सेक्टर; या (vii) स्वास्थ्य सेक्टर।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता। टिप्पण: वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों की प्रोन्नति उपांतरित सुनम्य मानार्थ स्कीम (एमएफसीएस) या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कार्मिक और प्रशिक्षण	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुनःनियोजन या सीधी भर्ती।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण

विभाग की किसी अन्य नीति के अधीन होगी।			<p>किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में क्रमशः वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 या स्तर - 7 (47600-151100 रु.) या (44900-142400 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो या तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए:</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>
---------------------------------------	--	--	---

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>1. महानिदेशक, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - अध्यक्ष;</p> <p>2. वैज्ञानिक 'ई' या समतुल्य या ऊपर का अधिकारी, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - सदस्य;</p> <p>3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से वैज्ञानिक 'ई' या ऊपर के स्तर का कोई अधिकारी -सदस्य।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. विधि अधिकारी	*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (118500-214100 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुनःनियोजन	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है;</p> <p>(ख) अनिवार्य अर्हताएं और अनुभव:</p> <p>(i) जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री है; और</p> <p>(ii) जिसके पास संबंधित मामलों को करने का तेरह वर्ष का अनुभव है:</p> <p>(क) महत्वपूर्ण निविदाओं या करार या लागत और लेखों सहित प्रशासन या वित्त; और</p> <p>(ख) ई-शासन बौद्धिक संपदा अधिकार नेटवर्क, साइबर विधियां, ई-वाणिज्य जिसके अंतर्गत ई-शासन, नेटवर्क, बौद्धिक संपदा अधिकार, साइबर विधियां, ई-वाणिज्य क्षेत्रों में अकादमी के क्षेत्र का अनुभव भी सम्मिलित है।</p> <p>(ग) बांछनीय अर्हताएं:</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से साइबर विधियां में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

		<p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए:</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>
--	--	--

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>1. महानिदेशक, - अध्यक्ष; भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</p> <p>2. भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या - सदस्य; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैज्ञानिक 'जी' या समतुल्य</p> <p>3. अन्य मंत्रालय या विभाग या संगठन से संयुक्त सचिव, - सदस्य। भारत सरकार के स्तर का कोई अधिकारी या समतुल्य अधिकारी</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. ज्येष्ठ निजी सचिव	*2 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुनःनियोजन	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) ऐसे निजी सचिव जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>(ख) आवेदक को आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए और उसे कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।</p>

		<p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए:</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>
(12)		(13)
विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- <ol style="list-style-type: none"> महानिदेशक, - अध्यक्ष; भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या वैज्ञानिक 'डी' के स्तर का अधिकारी भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का उप सचिव या समतुल्य अधिकारी - सदस्य; भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या कानूनी निकायों से वैज्ञानिक 'डी' स्तर का अधिकारी - सदस्य। 		लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. प्रशासनिक अधिकारी	*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुनःनियोजन।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

			<p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रु.) में तीन वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (29200-92300 रु.) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) आवेदक को किसी सरकारी संगठन या कार्यालय में सभी प्रशासनिक मामलों और कार्मिक मामलों को संभालने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए:</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>
--	--	--	--

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>1. महानिदेशक, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - अध्यक्ष;</p> <p>2. भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का निदेशक या समतुल्य अधिकारी - सदस्य;</p> <p>3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या संगठन से उप सचिव या समतुल्य अधिकारी - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. लेखा और वित्त अधिकारी	*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुनः नियोजन	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रु.) में</p> <p>तीन वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (29200-92300 रु.) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) आवेदक को किसी सरकारी संगठन या कार्यालय में सभी प्रकार के वित्त और लेखा को संभालने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</p> <p>(ग) कम्प्यूटर प्रचालन की जानकारी जैसे कि निजी कम्प्यूटर के उपयोग और प्रचालन वर्ड प्रोसेसिंग, इन्टरनेट और ई-मेल करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए:</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>1. महानिदेशक, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - अध्यक्ष;</p> <p>2. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त निदेशक या समतुल्य - सदस्य;</p> <p>3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या संगठन से उप सचिव या समतुल्य अधिकारी - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. निजी सचिव	*4 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और 100 शब्द प्रति मिनट की दर से आशुलिपिक गति।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुनःनियोजन या सीधी भर्ती। टिप्पण: सीधी भर्ती रोजगार कार्यालय या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के माध्यम से की जाएगी।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) आशुलिपिक या निजी सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। (ख) आवेदक को आशुलिपिक उत्तीर्ण की होनी चाहिए और कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।

		<p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए: सशस्त्र बल के ऐसे कर्मियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>
--	--	--

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>1. महानिदेशक, - अध्यक्ष; भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या वैज्ञानिक 'डी' स्तर का अधिकारी</p> <p>2. भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का उप सचिव या समतुल्य अधिकारी - सदस्य;</p> <p>3. भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या कानूनी निकायों से वैज्ञानिक 'डी' स्तर का अधिकारी - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. सहायक	*2 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन या पुनःनियोजन।	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधीन ऐसे</p>

			<p>अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या</p> <p>(ii) कार्यालय सहायक या समतुल्य जिन्होंने क्रमशः वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 या स्तर-4 (29200-92300 रु.) या (25500-81100 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष या दस वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए:</p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>
--	--	--	--

(12)	(13)
<p>विभागीय चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>1. महानिदेशक, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल - अध्यक्ष;</p> <p>2. भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उप सचिव या संयुक्त निदेशक या समतुल्य अधिकारी - सदस्य;</p> <p>3. भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या कानूनी निकायों से वैज्ञानिक 'डी' या समतुल्य सरकारी अधिकारी - सदस्य।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

[फा. सं. 1(5)/2016-का.।।।]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2017

G.S.R. 1443(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ze) of sub-section (2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' and 'B' posts in the Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), a statutory body under the administrative control of the Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), Group 'A' and 'B' Posts, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification. – No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

8. Other conditions of service. – Other conditions of service of the officers and employees of the Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), for which no specific provisions have been provided, shall be regulated in accordance with such rules as are, from time to time, applicable to similar category/level of officers and employees of the Central Government.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Scientist 'F'.	*6 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government.	Level-13A in the pay matrix (Rs. 131100-216600).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Methods of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>50 years.</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>(1) Educational qualifications:</p> <p>(a) Bachelor degree in Technology or Bachelor degree in Engineering or Associate Member of Institute of Engineers (A&B) (Computer Science or Computer Engineering or Information Technology or Electronics and Telecommunication) with eighteen years (nineteen years for Associate Member of Institute of Engineers) of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors;</p> <p>Or</p> <p>(b) Master degree in Science (M.Sc.) (Physics or Electronics or Applied Electronics) with nineteen years of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors;</p> <p>Or</p> <p>(c) Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses (DOEACC) B-Level or Graduate Institute of Electronics and Telecommunication Engineers (IETE) with nineteen years of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached & Subordinate Offices of the Central Government or</p>	<p>Not applicable.</p> <p>Note: Promotion of Scientific and Technical officers will be covered under Modified Flexible Complementing Scheme (MFCS) or any other policy of the Ministry of Electronics and Information Technology or Department of Personnel and Training.</p>	<p>One year for direct recruits.</p>	<p>Deputation (including short-term contract)/ absorption or re-employment or direct recruitment.</p>

<p>Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors; Or (d) Master of Computer Application (MCA) with nineteen years of relevant work experience from Ministries or Departments or Attached & Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors.</p> <p>(2) Essential and relevant experience: Possessing the period of experience as specified at (1) (a) to (d) above and also in the organizations specified at (1) (a) to (d) above in any or combination of the following fields, namely:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) overall implementation and operationalisation of project and management of administrative and technical processes; (ii) direct and control of activities, installation and implementation of infrastructure, systems; (iii) infuse innovation and creativity to strategic plans, operational procedures; (iv) coordinating and maintaining strong relationship among all groups and stakeholders; (v) experience in the field of Information Technology with emphasis on networking, Cyber Laws, e-Commerce, Cyber Security and Cyber Forensics. <p>(3) Working knowledge in the following one or more areas is desirable -</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Financial Services Sector; or (ii) Energy or Power Sector; or (iii) Telecommunications Sector; or (iv) Information and Communications Technology and Cyber Security Sector; or (v) Transport Sector; or (vi) Manufacturing Sector; or (vii) Health Sector. 			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/ absorption: Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or	Departmental Selection Committee consisting of: - 1. Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology – Chairman; 2. Director General, Indian Computer Emergency Response Team –Member;	Not applicable.

(ii) having five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-13 in the pay matrix (Rs.118500-214100) or nine years regular service in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7). Note-1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. For ex-servicemen: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment terms.	3. An officer of the level of Additional Secretary or Joint Secretary from any other Ministry or Department of the Central Government - Member.	
---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Scientist 'E'.	*6 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government.	Level-13 in the pay matrix (Rs.118500-214100).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>45 years.</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamb District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>(1) Educational qualifications: (a) Bachelor degree in Technology or Bachelor degree</p> <p>In Engineering or Associate Member of Institute of Engineers (A&B) (Computer Science or Computer Engineering or Information Technology or Electronics and Communication or Electronics and Telecommunication) with thirteen years (fourteen years for Associate Member of Institute of Engineers) of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors;</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>(b) Master degree in Science (M.Sc.) (Physics or Electronics or Applied Electronics) with fourteen years of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors;</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>(c) Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses (DOEACC) B-Level or Graduate Institute of Electronics and Telecommunication Engineers (IETE) with fourteen years of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached & Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors;</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>(d) Master in Computer Application (MCA) with fourteen years of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public</p>	<p>Not applicable. Note: Promotion of Scientific and</p> <p>Technical officers will be covered under Modified Flexible Complementing Scheme (MFCS) or any other policy of Ministry of Electronics and Information Technology or Department of Personnel and Training.</p>	<p>One year for direct recruits.</p>	<p>Deputation (including short-term contract)/ Absorption or re-employment or direct recruitment.</p>

	<p>Sector Undertakings or Private Sectors.</p> <p>(2) Essential and relevant experience: Possessing the period of experience as specified at (1) (a) to (d) above and also in the organizations specified at (1) (a) to (d) above in any or the combination in the field of Information Technology with emphasis on networking, Cyber Laws, e-Commerce, Cyber Security and Cyber Forensics.</p> <p>3) Working knowledge in the following one or more areas is desirable –</p> <p>(i) Financial Services Sector; or</p> <p>(ii) Energy or Power Sector; or</p> <p>(iii) Telecommunications Sector; or</p> <p>(iv) Information and Communications Technology and Cyber Security Sector; or</p> <p>(v) Transport Sector; or</p> <p>(vi) Manufacturing Sector; or</p> <p>(vii) Health Sector.</p>			
--	---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short-term contract)/ absorption:-</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7).</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be</p>	<p>Departmental Selection Committee consisting of: -</p> <p>1. Director General, - Chairman; Indian Computer Emergency Response Team</p> <p>2. Scientist, 'G' or 'F', - Member; Indian Computer Emergency Response Team</p> <p>3. Officer of the level of - Member. Scientist 'F' or above from any other Ministry or Department of the Central Government</p>	<p>Not applicable.</p>

<p>exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>For ex-servicemen:</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment terms.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Scientist 'D'.	<p>*14 (2017)</p> <p>*Subject to variation dependent on workload.</p>	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government.	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>40 years.</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh</p> <p>Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>1) Educational qualifications:</p> <p>(a) Bachelor degree in Technology or Bachelor degree in Engineering or Associate Member of Institute of Engineers (A&B) (Computer Science or Computer Engineering or Information Technology or Electronics and Communication or Electronics and Telecommunication) with eight years (nine years for Associate Member of Institute of Engineers) of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors;</p> <p>Or</p> <p>(b) Master degree in Science (M.Sc.) (Physics or Electronics or Applied Electronics) with nine years of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector</p>	<p>Not applicable.</p> <p>Note: Promotion of Scientific and Technical officers will be covered under Modified Flexible Complementing Scheme (MFCS) or any other policy of Ministry of Electronics and Information Technology or Department of Personnel and Training.</p>	One year for direct recruits.	Deputation (including short-term contract)/ absorption or re-employment or direct recruitment.

	<p>Undertakings or Private Sectors;</p> <p>Or</p> <p>(c) Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses (DOEACC) B-Level or Graduate Institute of Electronics and Telecommunication Engineers (IETE) with nine years of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors;</p> <p>Or</p> <p>(d) Master in Computer Application (MCA) with nine years of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors.</p> <p>(2) Essential and relevant experience: Possessing the period of experience as specified at (1) (a) to (d) above and also in the organizations specified at (1) (a) to (d) above in any or the combination in the field of Information Technology with emphasis on networking, Cyber Laws, e-Commerce, Cyber Security and Cyber Forensics.</p> <p>3) Working knowledge in the following one or more areas is desirable –</p> <p>(i) Financial Services Sector; or</p> <p>(ii) Energy/Power Sector; or</p> <p>(iii) Telecommunications Sector; or</p> <p>(iv) Information and Communications Technology and Cyber Security Sector; or</p> <p>(v) Transport Sector; or</p> <p>(vi) Manufacturing Sector; or</p> <p>(vii) Health Sector.</p>			
--	--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short-term contract)/ absorption:</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies –</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with four years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(B) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column(7).</p> <p>Note1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>For ex-servicemen:</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment terms.</p>	<p>Departmental Selection Committee consisting of: -</p> <p>1. Director General, Indian Computer Emergency Response Team - Chairman;</p> <p>2. Scientist 'F' or equivalent in Indian Computer Emergency Response Team - Member;</p> <p>3. An officer of the level of Scientist 'F' from any other Ministry or Department of the Central Government - Member.</p>	<p>Not applicable.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Scientist 'C'.	<p>*42 (2017)</p> <p>*Subject to variation dependent on workload.</p>	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>35 years.</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>(1) Educational qualifications:</p> <p>(a) Bachelor degree in Technology or Bachelor degree in Engineering or Associate Member of Institute of Engineers (A&B) (Computer Science or Computer Engineering or Information Technology or Electronics and Communication or Electronics and Telecommunication) with five years (six years for Associate Member of Institute of Engineers) of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors;</p> <p>Or</p> <p>(b) Master degree in Science (M.Sc.) (Physics or Electronics or Applied Electronics) with six years of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors;</p> <p>Or</p> <p>(c) Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses (DOEACC) B-Level or Graduate Institute of Electronics and Telecommunication Engineers (IETE) with six years of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors;</p> <p>Or</p> <p>(d) Master in Computer Application (MCA) with six years of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached & Subordinate Offices of the Central</p>	<p>Not applicable.</p> <p>Note: Promotion of Scientific and Technical officers will be covered under Modified Flexible Complementing Scheme (MFCS) or any other policy of Ministry of Electronics and Information Technology or Department of Personnel and Training.</p>	<p>Two years for direct recruits.</p>	<p>Deputation (including short-term contract)/ absorption or re-employment or direct recruitment.</p>

	<p>Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors.</p> <p>(2) Essential and relevant experience: Possessing the period of experience as specified at (1) (a) to (d) above and also in the organizations specified at (1) (a) to (d) above in any or the combination in the field of Information Technology with emphasis on networking, Cyber Laws, e-Commerce, Cyber Security and Cyber Forensics.</p> <p>(3) Working knowledge in the following one or more areas is desirable –</p> <p>(i) Financial Services Sector; or (ii) Energy or Power Sector; or (iii) Telecommunications Sector; or (iv) Information and Communications Technology and Cyber Security Sector; or (v) Transport Sector; or (vi) Manufacturing Sector; or (vii) Health Sector.</p>			
--	--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short-term contract)/ absorption:</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with four years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7).</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not</p>	<p>Departmental Selection Committee consisting of: -</p> <p>1. Director General, Indian Computer Emergency Response Team - Chairman;</p> <p>2. Scientist 'E' or equivalent in Indian Computer Emergency Response Team - Member;</p> <p>3. An officer of the level of Director or equivalent of Ministry of Electronics and Information Technology or from any other Ministry or Department of the Central Government - Member.</p>	Not applicable.

exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--

For ex-servicemen: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment terms.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Scientist 'B'.	*57 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30 years. Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	1) Educational qualifications: (a) Bachelor degree in Technology or Bachelor degree in Engineering or Associate Member of Institute of Engineers (A&B) (Computer Science or Computer Engineering or Information Technology or Electronics and Communication or Electronics and Telecommunication) (with one year of relevant work experience for Associate Member of Institute of Engineers) in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors; Or (b) Master degree in Science (M.Sc.) (Physics or Electronics or Applied Electronics) with one year of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public	Not applicable. Note: Promotion of Scientific and Technical officers will be covered under Modified Flexible Complementing Scheme (MFCS) or any other policy of Ministry of Electronics and Information Technology or Department of Personnel and Training.	Two years for direct recruits.	Deputation (including short-term contract)/ absorption or re-employment or direct recruitment.

	<p>Sector Undertakings or Private Sectors; Or (c) Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses (DOEACC) B-Level or Graduate Institute of Electronics and Telecommunication Engineers (IETE) with one year of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors; Or (d) Master in Computer Application (MCA) with one year of relevant work experience in Ministries or Departments or Attached and Subordinate Offices of the Central Government or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Private Sectors.</p> <p>(2) Working knowledge in the following one or more areas is desirable –</p> <p>(i) Financial Services Sector; or (ii) Energy or Power Sector; or (iii) Telecommunications Sector; or (iv) Cyber Laws or e-Commerce or Cyber Security or Cyber Forensics; or (v) Transport Sector; or (vi) Manufacturing Sector; or (vii) Health Sector.</p>			
--	---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short-term contract)/ absorption:</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two or three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-8 or level-7 in the pay matrix (Rs. 47600-</p>	<p>Departmental Selection Committee consisting of: -</p> <p>1. Director General, Indian Computer Emergency Response Team - Chairman;</p> <p>2. Scientist 'E' or equivalent or above officer, Indian Computer Emergency Response Team - Member;</p> <p>3. An officer of the level of Scientist 'E' or above - Member.</p>	Not applicable.

<p>151100) or (Rs. 44900-142400) respectively in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7).</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>For ex-servicemen:</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment terms.</p>	from any other Ministry or Department of the Central Government	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Legal Officer.	<p>*1 (2017)</p> <p>*Subject to variation dependent on workload.</p>	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government.	Level-13 in the pay Matrix (Rs. 118500-214100).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short term contract)/ absorption or re-employment.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short-term contract)/ absorption:</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies –</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p>	<p>Departmental Selection Committee consisting of: -</p> <p>1. Director General, - Chairman; Indian Computer Emergency Response Team or Additional Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology</p> <p>2. Scientist, 'G' or equivalent -Member;</p>	Not applicable.

<p>(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or Department;</p> <p>(b) Essential qualifications and experience:</p> <p>(i) Possessing Bachelor's degree in Law from a ecognized University; and</p> <p>(ii) Possessing thirteen years of experience in dealing with matters pertaining to:</p> <p>(a) administration or finance with emphasis on tenders or agreement or cost and accounts; and</p> <p>(b) e-governance, networking intellectual property rights, cyber laws, e-commerce including experience in the field of academics in the areas of e-governance, networking, intellectual property rights, cyber laws, e-commerce.</p> <p>(c) Desirable qualifications:</p> <p>Post Graduate Diploma in Cyber Laws from a ecognized University; and</p> <p>Note-1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of</p>	<p>in Indian Computer Emergency Response Team or Ministry of Electronics and Information Technology</p> <p>3. An Officer of the level of - Member. Joint Secretary to the Government of India or Equivalent from other Ministry or Department or Organisation</p>	
<p>the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>For ex-servicemen:</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment terms.</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Senior Private Secretary.	*2 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract)/ absorption or re-employment.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short-term contract)/ absorption:</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or autonomous bodies -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) Private Secretary with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or with six years regular service in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).</p> <p>(b) The applicant should have passed stenographic test and should have working knowledge and experience of Computer.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications</p> <p>For ex-servicemen:</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment terms.</p>	<p>Departmental Selection Committee consisting of: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director General, Indian Computer Emergency Response Team or officer of the level of Scientist 'D' - Chairman; 2. Deputy Secretary or Equivalent Officer of Indian Computer Emergency Response Team or Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Scientist 'D' level officer from any other Ministry or Department or Statutory Bodies of the Government of India - Member. 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Administrative Officer.	*1 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short term contract)/ absorption or re-employment.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short-term contract)/ absorption :</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies –</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with three years regular service in level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or five years regular service in level 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or eight years in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) The applicant should have at least five years experience of handling all administrative and personnel matters of a Government rganization or office.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>For ex-servicemen:</p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment terms.</p>	<p>Departmental Selection Committee consisting of: -</p> <p>1. Director General, Indian Computer Emergency Response Team - Chairman;</p> <p>2. Director or equivalent Officer of Indian Computer Emergency Response Team or Ministry of Electronics and Information Technology - Member;</p> <p>3. Deputy Secretary or Equivalent from any other Ministry or Department or Organisation of the Central Government - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. Accounts and Finance Officer.	*1 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short term contract)/ absorption or re-employment.

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/ absorption: Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies – (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with three years regular service in level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or five years regular service in level 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or eight years in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) in the parent cadre or Department; and (b) The applicant should have at least five years experience of handling all kinds of finance and accounts from a Government rganization or office. (c) Knowledge of computer operation such as usage and operation of personal computer word processing, internet and e-mailing will be preferred. Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. For ex-servicemen: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment	Departmental Selection Committee consisting of: - 1. Director General, Indian Computer Emergency Response Team - Chairman; 2. Joint Director or equivalent in the Ministry of Electronics and Information Technology -Member; 3. Deputy Secretary or Equivalent from any other Ministry or Department or Organisation of the Central Government - Member.	Not applicable.

terms.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. Private Secretary.	*4 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Not applicable.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30 years. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Graduation from any recognized university and stenography speed of 100 word per minute.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	Deputation (including short-term contract)/ absorption or re-employment or direct recruitment. Note: Direct Recruited will be made through Employment Exchange or as per Standard Operating Procedures (SOP) specified by Ministry of Electronics and Information Technology.
(11)	(12)		(13)	
Deputation (including short-term contract)/ absorption: Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or autonomous bodies - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) Stenographer or Personal Assistant with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or with five years regular service in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400). (b) The applicant should have passed stenographic test and should have working knowledge and experience of Computer. Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of	Departmental Selection Committee Consisting of: - 1. Director General, Indian Computer Emergency Response Team or officer of the level of Scientist 'D' - Chairman; 2. Deputy Secretary or Equivalent Officer of Indian Computer Emergency Response Team or Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Scientist 'D' level Officer from any other Ministry or Department or Statutory Bodies of the Government of India - Member.		Not applicable.	

applications. For ex-servicemen: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment terms.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. Assistant.	*2 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract)/Absorption or re-employment.

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/absorption: Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies - (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) Office Assistant or equivalent with six or ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 or level-4 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or (Rs. 25500-81100) respectively. Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. For ex-servicemen: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and, if selected, such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, and thereafter they may be continued on re-employment terms.	Departmental Selection Committee consisting of: - 1. Director General, Indian Computer Emergency Response Team - Chairman; 2. Deputy Secretary or Joint Director or equivalent Officer in Indian Computer Emergency Response Team or Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Scientist 'D' or equivalent Government Officer from any other Ministry or Department or Statutory Bodies of the Government of India - Member.	Not applicable.

[F. No. 1(5)/2016-P.III]
RAJIV KUMAR, Jt. Secy.